न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 193/2020
3. उनवान : सरकार जरिये भागचन्द बैरवा प्रवर्तन अधिकारी
   बनाम
   श्री उमराव सिंह गुर्जर प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत तेवडी अस्थाई सम्बद्ध उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत कुहाडा तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
4. निर्णय दिनांक : 04-07-2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) श्री आर. एस. सिखवाल अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी जयपुर प्रथम श्री भागचन्द बैरवा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा, मौका फर्द पूछताछ, बयान आदि पेश कर प्रार्थना पत्र में कथन किया कि अप्रार्थी उमराव सिंह पर दिनांक 18.12.2008 को जब्ती की कार्यवाही कर अवैध 417 लीटर नीले केरोसीन मय दो लोहे के ड्रमों को जब्त किया गया। मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई साक्ष्य सबूत उक्त स्टॉक से अधिक केरोसीन के संधारण के संबंध में पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्त माल को राजसात करने का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज करवाया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज होने पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। जिस पर उनकी ओर से दिनांक 25.03.2009 को अधिवक्ता श्री आर. एस. सिखवाल ने वकालतनामा पेश किया और दिनांक 09.11.2009 को अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया। अप्रार्थी/अभिभाषक के लम्बे समय तक अनुपस्थित रहने के बावजूद पत्रावली बहस पर रखी गयी। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी, न्याय हित में अन्तिम अवसर भी दिया गया। इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 04.07.2022 को आदेश हेतु रखी गई। हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन तथा बहस का मनन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 18.12.2008 को अप्रार्थी की उचित मूल्य की दुकान पर जांच कार्यवाही कर वितरण रजिस्टर व स्टॉक के मिलान करने पर स्टॉक से अधिक पाये गये कुल 417 लीटर नीले केरोसीन मय दो लोहे के ड्रमों को जब्त किया गया। चूंकि प्रार्थी द्वारा जब्त केरोसीन अवैध था और उनके संधारण बाबत किसी अन्य ने भी क्लेम नही किया, ऐसी स्थिति में हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित पाते हैं।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

अतः उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा सामान जिसमें कुल 417 लीटर नीले केरोसीन मय दो लोहे के ड्रम शामिल है, को राजसात किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर

Court to the Addl. Collector and Magistrate-III • JAIPUR •